संख्या-110/2023/2356/सैंतीस-2-2023/002-5(2)/2018टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-27 सितम्बर, 2023

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1432/सा0-2/बारह-619/वृ.गो.सं.के./2023-24, दिनांक-25.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत निम्नलिखित 74 गो-संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु रू0-20.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से कुल रू0-1480.00 लाख (रूपये चौदह करोड़ अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद	केन्द्र का विवरण	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	रायबरेली	ग्रा. बन्नांवा, तह. बछरांवा	20.00
2	फर्रूखाबाद	ग्रा. पहाड़पुर, तह. कायमगंज	20.00
3	अमेठी	ग्रा. दक्खिनगवां	20.00
4		ग्रा. खारा, तह. तिलोई	20.00
5		ग्रा. कोरारी लच्छनशाह, तह. अमेठी	20.00
6	आजमगढ़	ग्रा. बसही अशरफपुर, तह. फूलपुर	20.00
7		ग्रा. चरहा, तह. निजामाबाद	20.00
8		ग्रा. रामपुर	20.00
9	सहारनपुर	ग्रा. ननौता बैरून हद्दू तह. रामपुर मनिहारन	20.00
10		ग्रा. मानपुर अहतमाल जदीद, तह. नकुड़	20.00
11	जौनपुर	ग्रा. गुलालपुर, तह. शाहगंज	20.00
12		ग्रा. सोनिकपुर, तह. शाहगंज	20.00
13	श्रावस्ती	ग्रा. सेमगढ़ा, तह. इकौना	20.00
14		ग्रा. मोतीपुर कला, तह. भिनगा	20.00
15	ललितपुर	ग्रा. कुचदों, ग्रा.सभा देवगढ़ (कुचदों)	20.00
16		ग्रा. खिरिया मिश्र, तह. महरौनी	20.00
17		ग्रा. टोरिया, तह. ललितपुर	20.00
18		ग्रा. बिजरौठा, तह. ताल बेहट	20.00
19	महोबा	ग्रा. बछेहरखुर्द, तह. कुलपहाड़	20.00
20		ग्रा. टीकामऊ, तह. महोबा	20.00
21		ग्रा. खरेला देहात, तह. चरखारी	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22		ग्रा. सौरा, तह. कुलपहाड़	20.00
23	जालौन	ग्रा. नुनबई, तह. उरई	20.00
24		ग्रा. जुगराजपुर	20.00
25	प्रतापगढ़	ग्रा. पहाड़पुर, तह. लालगंज	20.00
26		ग्रा. विलियमगढ़, तह. लालगंज	20.00
27		ग्रा. शकूहाबाद, तह. लालगंज	20.00
28	सीतापुर	ग्रा. कोडवा धमधमपुर, तह. बिसवां	20.00
29	फिरोजाबाद	ग्रा. साथी, तह. शिकोहाबाद	20.00
30	शाहजहांपुर	ग्रा. धुसगवां, तह. सदर	20.00
31		ग्रा. सहबाजनगर, तह. सदर	20.00
32	बागपत	ग्रा. बिजवाड़ा, तह. बड़ौत, वि.ख. बिनौली	20.00
33		ग्रा. काकोर, तह. बड़ौत	20.00
34		ग्रा. नगलाअगरी, वि.ख. खेकड़ा	20.00
35	झांसी	ग्रा. गौती, वि.ख. बामोर	20.00
36		ग्रा. रमौरा, वि.ख. गुरसराय	20.00
37		ग्रा. धवारी, वि.ख. गुरसराय	20.00
38		ग्रा. पठगुवां, वि.ख. बंगरा	20.00
39	हरदोई	ग्रा. तन्डर, तह. शाहाबाद	20.00
40		ग्रा. बर्रा, तह. सवायजपुर	20.00
41		ग्रा. बरगांवा, वि.ख. ठडियांवा, तह. सदर	20.00
42		ग्रा. काशीपुर, तह. सदर	20.00
43	कानपुर देहात	ग्रा. अन्ने	20.00
44	अमरोहा	ग्रा. रहमापुर माफी, तह. धनौरा	20.00
45	आगरा	ग्रा. खेड़ी अन्डू, तह. एत्मादपुर	20.00
46		ग्रा. खेड़ा राठौर, तह. वाह	20.00
47		ग्रा. अछनेरा देहात, तह. किरावली	20.00
48		ग्रा. धनौला कला, तह. फतेहाबाद	20.00
49	सुल्तानपुर	ग्रा. अल्हादपुर, तह. सदर	20.00
50		ग्रा. सिरवारा द्वितीय, तह. जयसिंहपुर	20.00
51	उन्नाव	ग्रा. तौरा, तह. सदर	20.00
52		ग्रा. टिकरा शामद, तह. हसनगंज	20.00
53		ग्रा. एरा मदियार, तह. सदर	20.00
54		ग्रा. जमीरपुर	20.00
55	फतेहपुर	ग्रा. रायपुर भसरौल, तह. खागा	20.00
56	बरेली	ग्रा. अनिरूद्ध पुर, तह. आंवला	20.00
57		करतौली, तह. फरीदपुर	20.00
58		ग्रा. मऊचन्दपुर, तह. आंवला	20.00
59		ग्रा. सिकोड़ा, तह. आंवला	20.00
60		ग्रा. मानपुर अहियापुर, तह. सदर	20.00
61		ग्रा. अम्बरपुर, तह. बहेड़ी	20.00
62		ग्रा. चुरई दलपतपुर, तह. मीरगंज	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

63	लखीमपुर खीरी	ग्रा. कादीपुर, तह. सदर	20.00
64	ललितपुर	ग्रा. गडौलीकला, तह. मड़ावरा	20.00
65	आगरा	ग्रा. मदनपुर, तह. एत्मादपुर	20.00
66	मिर्जापुर	ग्रा. भिस्कुरी, तह. सदर	20.00
67	मुरादाबाद	ग्रा. राजूपुर मिलक, तह. ठाकुरद्वारा	20.00
68		ग्रा. रायपुर खुर्द सयौहारा, तह. कांठ	20.00
69		ग्रा. मोहम्दपर मनसुख, तह. विलारी	20.00
70	गोरखपुर	ग्रा. लखसरा, तह. सदर	20.00
71	अमेठी	ग्रा. टीकरमाफी, तह. अमेठी	20.00
72	फर्रूखाबाद	ग्रा. दुबरी, तह. कायमगंज	20.00
73	कासगंज	ग्रा. बड़ागांव, तह. सहावर	20.00
74		ग्रा. मुनव्वरपुर गड़िया, तह. कासगंज सदर	20.00
योग-			**1480.00**

(रूपये चौदह करोड़ अस्सी लाख मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत गो-संरक्षण केन्द्रों हेतु निर्गत की गयी धनराशियों के नियम संगत व्यय, व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा आहरित कर सीधे सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराने एवं केन्द्र के अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी की होगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग स्वीकृति धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है अर्थात् प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व प्रश्नगत निर्माण हेतु भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(8) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(14) नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(15) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,80,00,000 (रुपये चौदह करोड़ अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 4403008000400 गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-110/2023/2356(1)/सैंतीस-2-2023/002-5(2)/2018टीसी, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।